राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि-पत्र

दिनांक 19 सितम्बर, 1981

क्रमांक **1804-ज-II-81/34274.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1380-ज-II-80/33001 दिनांक 16 सितम्बर, 1980, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 23 सितम्बर, 1980, को प्रकाशित हुई है, के क्रमांक 2 में गांव का नाम "कनलाना" की बजाये "कबलाना" पढ़ा जाये ।

दिनांक 22 सितम्बर, 1981

क्रमांक **1128-ज-I-80/34651.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 317-ज-I-80/11892, दिनांक 2 अप्रैल, 1980, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 15 अप्रैल, 1980, को प्रकाशित हुई है, की तीसरी लाईन में गांव का नाम "रीटान" की बजाये "रोढान" पढ़ा जाये ।

दिनांक 7 अक्तूबर, 1981

क्रमांक **837-ज-I-81/36429.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 2394-ज-I-80/3026, दिनांक 28 जनवरी, 1981, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 10 फ़रवरी, 1981, में प्रकाशित हुई है, की चौथी लाईन में रबी, 1973 से खरीफ़, 1979 तक "150 रुपये" की बजाये "200 रुपये" पढ़ा जाये ।

दिनांक 12 अक्तूबर, 1981

क्रमांक **1816-ज-I-81/36542.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 876-ज-I-81/25010, दिनांक 20 जुलाई, 1981, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981, में प्रकाशित हुई है, की चौथी लाईन में 'श्री राम' की बजाये "श्री सही राम" पढ़ा जाए ।

दिनांक 7 अक्तूबर, 1981

क्रमांक **1874-ज(I)-81/36417.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा (2ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सवर्ण सिंह, पुत्र श्री गंगा राम, ग्राम बड़ागढ़, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1894-ज(I)-81/36421.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती राज कौर, विधवा श्री खजान सिंह, ग्राम रायेबाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1891-ज(I)-81/36425.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती करतार कौर, विधवा श्री करतार सिंह, गांव रायेबाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1904-ज(I)-81/36434.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मुण्डा राम, पुत्र श्री दौलत राम, गांव खरखेड़ी, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

देसराज सतीजा,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।